:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती दीपा गुर्जर, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
विविध आपराधिक प्रकरण संख्या	:	277/2026 (CIS N. 277/2026)
CNR N.	:	RJDG010004862026

गंगाराम पिता जीवा उम्र 59 वर्ष निवासी माड़ा फला घोड़ाघाट पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)। **––प्रार्थी/अभियुक्त––**

बनाम

राजस्थान राज्य। **––अप्रार्थी/अभियोजन––**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–71/2026, पुलिस थाना रामसागड़ा,
अपराध अन्तर्गत धारा **329(3), 64(2)(F)(K)** भारतीय न्याय संहिता।

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र कटारा, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांक :–06.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **गंगाराम** की ओर से यह जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलायी गयी। केस डायरी तलब की गयी।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक को परिवादी दिनेश पिता बदा बरण्डा निवासी माड़ा फला घोड़ाघाट ने पुलिस थाना रामसागड़ा पर उपस्थित होकर एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी मां पीड़िता जो करीब दस वर्षों से लकवे की बीमारी से ग्रसित है जो खाट में ही सोई रहती है एवं उसके पिता बदा जो दमा की तकलीफ से झुंज रहे हैं। दोनों ही दिनांक 23.05.2026 की रात्रि को उनके पशु घर के आगे आंगन में सो रहे थे कि अचानक रात्रि में करीब 11:00 बजे उसके काका गंगाराम पिता जीवा खाट में सो रही उसकी मां के साथ छुपके से आकर जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था। जिस पर उसकी मां ने ठीक से नहीं बोल पाने के कारण दबी आवाज में चिल्लाया तो पास में सोये उसके पिताजी उठ गये। उसके पिताजी ने उठ कर देखा तो उसके काका गंगाराम उसकी मां के ऊपर पड़ा हुआ था। जिस पर उसके पिताजी ने उसे, उसके भाई एवं परिवार के लोगों को आवाज लगायी तो वह स्वयं और उसकी पत्नी लीला व

Authenticated Document

उसका छोटा भाई प्रवीण और उसकी पत्नी कोकिला और उसकी बहन कृष्णा जो पास ही दूसरे मकान में सोये थे। उन सभी को आते देख कर उसके काका गंगाराम उसकी मां एवं पिताजी जहां सोये हुये थे वहां से निकलकर भागने लगा। उन्होंने देखा तो वह उस समय सिर्फ अण्डर वियर पहने हुये था। वहां से भाग कर राजू के घर की तरफ आगे जाने पर उसका लड़का संजय आया जो उसे वहां से लेकर कहीं चला गया। अतः उक्त उसके काका द्वारा लकवे से पीड़ित उसकी मां जो रात में खाट में सो रही जिसके साथ छुपके से आकर जबरदस्ती बलात्कार करने वाले के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही कराने का श्रम करावे.....इत्यादि।"

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामसागड़ा द्वारा मुकदमा नंबर–71/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 329(3),64(2)(F)(K) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 30.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा खारीज किया गया।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गयी एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको जमीन विवाद तथा इलाज के लिये आपसी लेन–देन व मकान निर्माण विवाद को लेकर वैमनस्यता के कारण झूंठा फंसाया गया है। उसके उपरोक्त अनवान में कानून फांसी अथवा मृत्यु दण्ड जैसी सजा के प्रावधान नहीं है। उससे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं की गयी है और न ही कोई बरामदगी शेष है। वह गरीब परिवार का होने से उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर उसके परिवार पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। उसके जमानत पर रिहा किये जाने पर कही भागने अथवा गवाहों को टेम्परविथ किये जाने की संभावना नहीं है और वह प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहने व अनुसंधान में सहयोग करने तैयार है। वह दिनांक 30.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाब नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

6. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी की माता जो लकवे की बीमारी से ग्रसित है के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। अत: प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

7. मैंने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी दिनेश की मां पीड़िता जो मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित है, उनके पशु घर के आंगन में रात्रि में खाट पर सोयी हुई, के साथ बलात्संग करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है :–

Authenticated Document

क्रं. सं.	एफ.आई.आर. नंबर	धारा	पुलिस थाना	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	न्यायालय का नाम	केस नंबर	वर्तमान स्टेज
1.	78/2013	341, 323/34 I.P.C.	रामसागड़ा	–	–	A.J.M. डूँगरपुर	–	सजा दिनांक 04.04.14

प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लकवाग्रस्त पीड़िता के साथ बलात्संग करने का गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

:: आदेश ::

8. फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **गंगाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

––sd––

(दीपा गुर्जर)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

OM PRAKASH FALEJA

P.A. CUM E.A "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.07.03 14:25:21 +0530

Authenticated Document